रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98

REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1998 (अग्रहायण 14, 1920)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1998 (AGRAHAYANA 14, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3
PART I—SECTION 3

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 1998

सं. 01/529/विज-3/98 दिनांक 18 अक्तूबर 1998—जबकि केन्द्रीय सरकार का ऐसा विचार है कि श्री बी. एस. छाछिया, सुपरवाइजर (8060652) सैन्य फार्म अम्बाला के विरुद्ध विभागीय जांच के संबंध में श्री नरवीर सिंह, कन्ट्रैक्टर तथा उनके भागीदार श्री अजित सिंह, चण्डीगढ़ को साक्षी के रूप में बुलाया जाना आवश्यक है ।

इसीलिए, विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति तथा प्रलेख प्रस्तुति प्रवर्तन) अधिनियम, 1972 (1972 का 18वां) की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, ले. कर्नल वी के चौबे (आई सी-28398) हैड क्वार्टर पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश (1) सब एरिया अम्बाला छावनी, को प्राधिकृत करती है कि वे जांच अधिकारी के रूप में श्री नरवीर सिंह, कन्ट्रैक्टर तथा उनके भागीदार श्री अजीत सिंह, चण्डीगढ़ के संबंध में उन्हें अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ।

जसवंत सिंह
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th December 1998

No. 01/529/Vig.III/98 dated 18th October 1998.—Whereas the Central Government is of the opinion that for the purpose of the Departmental inquiry relating to Shri B. S. Chachiaya, Supervisor (8060652) of MF Ambala Cantt, it is necessary to summon as witnesses S/Shri Narvir Singh, contractor and Ajit Singh, partner of Shri Narvir Singh of Chandigarh.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972). The Central Government hereby authorises Lt. Col. VK Chaubey (IC-28398) of HQ PH & HP (I) Sub Area Ambala Cantt as the Inquiring Authority to exercise the powers specified in Section 5 of the said Act in relation to Shri Narvir Singh, contractor and Shri Ajit Singh, partner of Shri Narvir Singh of Chandigarh.

JASWANT SINGH, Under Secy..

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1998